

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांक: सामान्य/चिकित्सा/2020/ 31038

दिनांक 16 अप्रैल, 2020
18

:: आदेश ::

कोविड-19, नोवल कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीर महामारी से नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन सुरक्षा एवं लोक शांति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा जिले के साथ-साथ सम्पूर्ण राज्य एवं राष्ट्र भी इस संक्रमण से ग्रसित होकर संघर्षरत हैं। यहां तक की लॉक डाउन के साथ-साथ सख्त निषेधाज्ञा भी लागू की हुई हैं।


भीलवाड़ा जिले में कोरोना वायरस संक्रमण की संवेदनशील स्थिति के मध्यनजर निकट भविष्य में अति सजग एवं सतर्क रहकर संक्रमण पर नियंत्रण, फैलाव से बचाव, सावधानी के संबंध में सतत कार्य किया जाना आवश्यक होने से निम्न कार्मिक की ड्यूटी सामान्य अनुभाग जिला कार्यालय में तत्काल प्रभाव से लगायी जाती हैं -

क्र०सं०	कार्मिक का नाम, पद एवं कार्यालय
1.	श्री भवरसिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

जिला स्तर से की जा रही समस्त कार्यवाही/कार्ययोजना के संबंध में पूर्ण जानकारी 02 दिवस में प्राप्त करा लेवे। ताकि आवश्यकता होने पर निर्बाध रूप से कार्य सम्पादित किया जा सके।


अतिरिक्त आरक्षित कर्मचारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे कोरोना वायरस संक्रमण के क्रम में की जा रही कार्यवाही की जानकारी संबंधित से प्राप्त कर निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करें।

आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित की जावे।


(राजेंद्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं -

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त, अजमेर
5. उप महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
7. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
8. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
9. प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग
10. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
11. श्री भवरसिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा


जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा